



कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित  
“वन धन भवन” सेक्टर 24, नवा रायपुर, अटल नगर  
फोन नंबर 0771- 2513100 से 2513110

E-mail: mfpfed.cg@nic.in

Website: www.cgmpfed.org

अधिसूचना क्रमांक-एम.एस.पी./ई-नीलाम/2022/1

दिनांक 16.06.2022

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020, 2020-21, 2021, 2021-22 एवं 2022 संग्रहण काल में भारत सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत क्रय की इकाईयों में संग्रहित एवं गोदामीकृत आटी इमली, फूल इमली (बीज रहित), भेलवा, बहेड़ा, काजू गुठली ग्रेड-02, कुटकी, कोदो, रागी, इमली बीज, इमली ब्रिक्स (500ग्रा. का पैकेट), फूल झाड़ू प्लास्टिक केन वाली (प्रीमियम), फूल झाड़ू प्लास्टिक पाईप वाली (प्रीमियम), काजू के विक्रय हेतु

आनलाइन ई-नीलाम सूचना

प्राक्कथन

- छत्तीसगढ़ शासन (जिससे इसके पश्चात् शासन कहा गया है), द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर, ( जिससे इसके पश्चात् संघ कहा गया है), को राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में भारत शासन की 'Marketing & Development of MFP through MSP' योजनान्तर्गत वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वनोपजों के संग्रहण, क्रय एवं व्यापार हेतु अधिकृत किया है,

- उक्त योजना अन्तर्गत वर्ष 2020, 2020-21, 2021, 2021-22 एवं 2022 सीजन में संघ द्वारा प्रदेश की प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्थाओं (जिससे इसके पश्चात् प्राथमिक समिति कहा गया है), जिनमें राज्य शासन एक अंशधारक है, के द्वारा संबंधित वनोपजों की इकाईयों (जिसे इसके पश्चात् इकाई कहा गया है), में वनोपजों का, जिला वनोपज सहकारी यूनियन (जिसे इसके पश्चात् जिला यूनियन कहा गया है), के पर्यवेक्षण में, संग्रहण कराया है,

- संग्राहकों द्वारा संग्रहण केन्द्र पर लाए गए वनोपजों के लिए, भारत शासन की 'Marketing & Development of MFP through MSP' योजनान्तर्गत वनोपजों तथा राज्य शासन द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर से क्रय मूल्य का भुगतान कर प्राथमिक समितियों के द्वारा वनोपजों संग्रहित एवं भंडारित किया गया है।

अतएव उक्त योजनान्तर्गत संग्रहित एवं भंडारित वनोपजों के क्रय के लिए संघ इच्छुक व्यक्तियों / पंजीकृत फर्मों / विधिक कंपनियों से ई-नीलाम में भाग लेने हेतु आमंत्रित करता है। ई-नीलाम सूचना (परिशिष्ट I से X तक तथा अनुसूची सहित) संघ की वेबसाईट [www.cgmpfed.org](http://www.cgmpfed.org) तथा आनलाइन ई-नीलाम के सर्विस प्रोवाइडर के पोर्टल [www.neml.in](http://www.neml.in) से निम्नानुसार तिथि से डाउनलोड किये जा सकते हैं:-

| ई-नीलाम प्रारम्भ होने की तिथि एवं समय | ई-नीलाम समाप्त होने की तिथि एवं समय   | जिस तिथि से ई-नीलाम सूचना एवं शर्तें डाउनलोड की जा सकती हैं |
|---------------------------------------|---|---|
| 07.07.2022<br>प्रातः 11.00 बजे से     | 07.07.2022<br>अपरान्ह 16.00 बजे तक<br>(15 मिनट के 3<br>extensions अतिरिक्त) | 24.06.2022  |

**परिशिष्ट-I**  
(निबंधन एवं शर्तें)

**2. परिभाषायें, ई-नीलाम के निबंधन एवं शर्तें बोलीदार के लिए निर्देश -**

इस सूचना, इसकी अनुसूची एवं इसके विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये विभिन्न शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो **परिशिष्ट- I** में सम्मिलित "ई-नीलाम के निबंधन एवं शर्तें तथा बोलीदारों के लिए निर्देश", में दिए गए अनुसार होंगी। ये "ई-नीलाम के निबंधन एवं शर्तें तथा बोलीदारों के लिए निर्देश" इस ई-नीलाम सूचना के अभिन्न अंग हैं और यह समझा जावेगा कि इस सूचना में समस्त प्रयोजनों के लिये सम्मिलित हैं।

**3. लाट सूची एवं करार अवधि -**

**अनुसूची**  
( वनोपजों की लाट सूची)

विभिन्न समितियों से संग्रहित एवं भंडारित वनोपजों की मात्रा के एवं इस सूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित वनोपजों की इकाइयों के क्रय के लिये दिनांक 31.10.2022 को समाप्त होने वाली करार अवधि के लिये एतद् द्वारा ई-नीलाम आयेजित की जाती है।

**4. पंजीयन फार्म आदि -**

**परिशिष्ट-II (नीलाम पत्रक)**  
**परिशिष्ट-III**  
(बोलीदार का करारनामा)

(I) NCDEX e Markets Ltd. (NeML) का पंजीयन फार्म, नीलाम पत्रक का नमूना (**परिशिष्ट - II**), बोलीदार का करारनामा (**परिशिष्ट - III**) मय अन्य परिशिष्टों के संघ की ऊपर दर्शित वेबसाइट अथवा आनलाइन ई-नीलाम के सर्विस प्रोवाइडर के पोर्टल **www.neml.in** से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

(II) बोलीदार स्वयं यह सत्यापित एवं सुनिश्चित करेगा कि उसने पंजीयन फार्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों की प्रति संलग्न किया है।

(III) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139A के अनुसार बोलीदार को स्थाई आयकर क्रमांक (PAN) पंजीयन फार्म में (निर्धारित स्थान पर) अंकित करना एवं PAN कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

(IV) Aadhaar Card कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

(V) GSTIN Certificate की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

(VI) अन्य अवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

**परिशिष्ट - IX**  
(बोलीदारों को ई-नीलाम में  
भाग लेने हेतु अनुदेश)  
(Time Schedule)  
**परिशिष्ट - X**

**5. ई-नीलाम में भाग लेना -**

(I) बोलीदार स्वयं यह सुनिश्चित करेगा कि उसने ई-नीलाम में भाग लेने के पूर्व बोलीदार का करारनामा (**परिशिष्ट - III**) निष्पादित किया है जो कि ई-नीलाम में भाग लेने हेतु अनिवार्य है।

(II) बोलीदारों को आनलाइन ई-नीलाम में भाग लेने हेतु विस्तृत अनुदेश (**परिशिष्ट - IX**) आनलाइन ई-नीलाम के सर्विस प्रोवाइडर के वेबसाइट **www.neml.in** तथा संघ के वेबसाइट **www.cgmfpfed.org** पर उपलब्ध होगा तथा आनलाइन ई-नीलाम Time Schedule (**परिशिष्ट - X**) में दर्शित दिनांक एवं समय के अनुसार होगी। ई-नीलाम से सम्बंधित किसी भी प्रकार की सहायता हेतु NCDEX e Markets Ltd. (NeML) के Business Development Managers से सम्पर्क किया जा सकता है।

## 6. ई-नीलाम कार्यक्रम -

ई-नीलाम पूर्व में प्रकाशित तिथि एवं समय (परिशिष्ट - X) के अनुसार सर्विस प्रोवाइडर के पोर्टल <https://cgmpfed.neml.in> में प्रारम्भ होगा। बोलीदार को प्रथमतः Auction bids page में वर्ष 2020, 2020-21, 2021, 2021-22 एवं 2022 में संग्रहित एवं गोदामीकृत वनोपज आटी इमली, फूल इमली (बीज रहित), भेलवा, बहेड़ा, काजू गुठली ग्रेड-02, कुटकी, कोदो, रागी, इमली बीज, इमली ब्रिक्स (500ग्र. का पैकेट), फूल झाड़ू प्लास्टिक केन वाली (प्रीमियम), फूल झाड़ू प्लास्टिक पाईप वाली (प्रीमियम), काजू का चयन करना होगा। आनलाइन बोली केवल रु. प्रति क्विंटल में Time Schedule (परिशिष्ट - X) में दर्शित तिथि एवं समय के अन्दर भरना होगा।

## 7. क्रेता करारनामा का निष्पादन -

(I) ई-नीलाम में लिये गये निर्णय अनुसार सफल बोलीदारों को आवंटित लाटों की सूची संघ की वेबसाइट पर परिशिष्ट - V में उपलब्ध रहेगी। सफल बोलीदारों की सूची एवं असफल बोलीदारों की सूची संघ की वेबसाइट [www.cgmpfed.org](http://www.cgmpfed.org) पर क्रमशः परिशिष्ट - VI एवं परिशिष्ट - VII में उपलब्ध रहेगी। सफल बोलीदार का प्रस्ताव के स्वीकृत होने की सूचना ई-मेल द्वारा दी जावेगी और ऐसी स्वीकृति जारी होने की तिथि से सम्बंधित वनोपजों के लाट के क्रय की संविदा बोलीदार और संघ के बीच अस्तित्व में आ गई मानी जावेगी एवं बोलीदार लाट का क्रेता माना जावेगा।

(II) सफल बोलीदार को, उसके प्रस्ताव की संघ द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के 21 दिन के अन्दर, प्रत्येक लाट के लिए परिशिष्ट-IV (क्रेता का करारनामा) में दिये गये प्रपत्र में करारनामा प्रबंध संचालक, जिला यूनियन अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति के समक्ष निष्पादित करना होगा। बोलीदार के द्वारा 2000/- रुपये बतौर फीस जमा किये जाने पर इस अवधि में प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के द्वारा 15 दिन की वृद्धि की जा सकेगी। इस प्रकार 21 वां दिन/15वां दिन यदि सार्वजनिक अवकाश रहता है तो करारनामा निष्पादन आगामी कार्य दिवस में किया जा सकेगा। 21 दिन/15 दिन की अवधि की गणना संघ मुख्यालय से आदेश जारी होने की तिथि के आगामी दिन से की जावेगी।

(III) करारनामे के निष्पादन नहीं किये जाने की स्थिति में क्रेता की नियुक्ति प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा निरस्त की जा सकेगी और ऐसे निरस्तीकरण पर सम्बंधित इकाई के क्रय मूल्य के 10% की राशि सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर ली जायेगी और वन संरक्षक द्वारा बोलीदार को ऐसी अवधि के लिये काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा जो 3 वर्ष तक हो सकती है। इसके अतिरिक्त यदि लाट/लाटों, जिनके लिये क्रेता की नियुक्ति निरस्त की गई है, के पश्चात्पूर्ती निर्वर्तन पर संघ को हुई हानि, यदि कोई हो, क्रेता को वहन करनी होगी और यदि ऐसी हानि की रकम क्रेता के द्वारा, उसको इस संबंध में जारी की गई मांग सूचना के 15 दिन के अन्दर, जमा नहीं की जाती है तो ऐसी हानि की राशि उससे भू राजस्व के बकाया बतौर वसूली योग्य होगी, परन्तु यदि ऐसे पश्चात्पूर्ती निर्वर्तन में क्रय मूल्य से अधिक राशि प्राप्त होती है तो क्रेता का इस अधिक राशि पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा।

## 8. देय राशि का भुगतान-

शासन द्वारा स्वीकृत बोली से क्रेता क्रय मूल्य का भुगतान प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के कार्यालय में क्रेता करारनामा की शर्तों के अनुसार करेगा।

## 9. वनोपजों का परिवहन / निकासी -

देय राशि के भुगतान उपरांत वनोपजों का परिवहन / निकासी परिशिष्ट-I एवं IV में दिये गये प्रावधानों के अनुसार होगा।

परिशिष्ट-V  
(बोलीदारवार  
आवंटित लाटों की  
सूची)

परिशिष्ट-VI  
(सफल बोलीदारों की  
सूची)

परिशिष्ट-VII  
(असफल बोलीदारों  
की सूची)

परिशिष्ट-IV  
(क्रेता का करारनामा)

10. परिशिष्ट -

परिशिष्ट-I से IV तथा अनुसूची जिनका कि संदर्भ ऊपर दिया गया है तथा परिशिष्ट-V से X (परिशिष्ट-II, III तथा V से X केवल अंग्रेजी में उपलब्ध होंगे) जो की संघ की ई-नीलाम अधिसूचना क्रमांक-एम.एस.पी./ई-नीलाम/2022/I दिनांक 16.06.2022 के साथ संलग्न है, समस्त प्रयोजनों के लिये इस ई-नीलाम सूचना के परिशिष्ट है उनको संदर्भ के लिये देखें तथा भविष्य की ई-नीलामों हेतु सुरक्षित रखें।

11. निबंधनों एवं शर्तों का स्वीकार करना -

इस ई-नीलाम के संदर्भ में ई-नीलाम में भाग लेने के कार्य को ई-नीलाम सूचना की शर्तों तथा परिशिष्ट-I में दिये गये निबंधनों एवं शर्तों की बिना शर्त अभिस्वीकृति समझा जावेगा।

12. क्रेता करारनामा निष्पादन न किये जाने अथवा करारनामा समाप्त होने की दशा में

हानि की राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी -

क्रेता से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती ई-निविदा / ई-नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियां।

13. हिन्दी रूपान्तरण प्राधिकृत पाठ -

इस सूचना का तथा इसकी अनुसूची एवं परिशिष्टों का हिन्दी रूपान्तरण सभी प्रयोजनों के लिये प्राधिकृत पाठ समझा जावेगा।

प्रबंध संचालक  
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)  
सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

## परिशिष्ट- I

ई-नीलाम के निबंधन एवं शर्तें तथा बोलीदारों के लिए निर्देश जो  
ई-नीलाम अधिसूचना क्रमांक-एम.एस.पी./ई-नीलाम/2022/I दिनांक 16.06.2022 के भाग है

ई-नीलाम के निबंधन व शर्तें तथा बोलीदारों के लिए निर्देश और ई-नीलाम सूचना एवं उसकी अनुसूची व विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें नीचे दिये अनुसार हैं। ये ई-नीलाम सूचना के अभिन्न अंग होंगे।

### 1. परिभाषाएं -

इस अधिसूचना तथा इसके परिशिष्टों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (i) **"देय राशि"** से तात्पर्य लाट में भंडारित मात्रा के क्रय मूल्य तथा उस पर देय कर के योग से है, जो सफल बोलीदार को देनी होगी। अधिसूचित मात्रा से अधिक संग्रहित / क्रय मात्रा का बोली पर करों सहित क्रय मूल्य इसमें सम्मिलित होगा।
- (ii) **"परिशिष्ट"** से तात्पर्य ई-नीलाम सूचना के परिशिष्ट से है।
- (iii) **बकाया** से अभिप्रेत है बोलीदार के विरुद्ध बकाया ऐसी कोई राशि जो छत्तीसगढ़ सरकार के वन विभाग अथवा संघ को शोध्य है और जिसकी सूचना ई-नीलाम समाप्ति की तारीख से कम से कम 30 दिन पूर्व वन विभाग अथवा संघ अथवा उनके पदाधिकारी द्वारा उसे पंजीकृत डाक से भेजी गई है।
- (iv) **"मुख्य वन संरक्षक"** से तात्पर्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक से है, जो संघ के पदेन क्षेत्रीय महाप्रबंधक भी घोषित है,
- (v) **"जिला यूनियन"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत कोई जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, जो संघ की सदस्य हो,
- (vi) **"वन मंडलाधिकारी"** से तात्पर्य संबंधित वन मंडलाधिकारी (सामान्य) से हैं, जो संघ के संबंधित जिला यूनियन के प्रबंध संचालक भी घोषित हैं,
- (vii) **"संघ"** से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर से है।
- (viii) **"शासन"** से तात्पर्य छत्तीसगढ़ शासन से है,
- (ix) **"लाट"** से तात्पर्य किसी विशिष्ट गोदाम में भंडारित वनोपजों से है जिसको कि अनुसूची में स्पष्ट किया गया है।
- (x) **"प्राथमिक समिति"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित जो "जिला यूनियन" की सदस्य हो।
- (xi) **"क्रय मूल्य"** से तात्पर्य उस राशि से है, जो वनोपजों लाटों की अधिसूचित क्विंटल / नग में दर्शित मात्रा, को नीचे (xii) की परिभाषित क्रय दर से गुणा करने पर प्राप्त हो।
- (xii) **"क्रय दर"** से तात्पर्य बोलीदार के द्वारा प्रस्तावित उस प्रति क्विंटल / नग बोली से है, जो बोरी में भरे संग्रहण केन्द्र से परिदान दी जाने वाली वनोपजों की मात्रा के लिए जो संघ के द्वारा स्वीकृत की गई हो।
- (xiii) **"परिक्षेत्र अधिकारी"** से तात्पर्य संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी से हैं, जो संघ के पदेन परिक्षेत्र प्रबंधक भी हैं,

- (xiv) "देय कर" से तात्पर्य लाट के क्रय मूल्य पर समय-समय पर प्रवृत्त देय वस्तु एवं सेवा कर व तत्समय प्रवृत्त अन्य सभी कर, ड्यूटी आदि से है,
- (xv) "बोली" से तात्पर्य उस प्रति क्विंटल / नग दर (रु. में) (जिसमें सेवा एवं वस्तु कर तथा अन्य कोई कर सम्मिलित नहीं हैं) से है जो बोलीदार किसी लाट के वनोपजों के क्रय के लिए परिशिष्ट- II में दिए गए ई-नीलाम पत्रक में अलग-अलग लाट के लिए प्रस्तावित करेगा।
- (xvi) "बोलीदार" से तात्पर्य उस व्यक्ति अथवा पंजीकृत फर्म या विधिक कंपनी से है, जो इन निबंधनों तथा शर्तों के अधीन, वनोपजों क्रय करने हेतु बोली प्रस्तुत करता है और इस अभिव्यक्ति में उसका दायद, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकित सम्मिलित होंगे।

(xvii) वनोपजों की परिभाषा :-

1. आटी इमली - आटी इमली से तात्पर्य इमली के वृक्ष से प्राप्त इमली फल से है जो बीज सहित है।
2. इमली फूल (बीज रहित) - इमली फूल से तात्पर्य इमली के वृक्ष से प्राप्त इमली फल से है जो बीज रहित है।
3. भेलवा - भेलवा से तात्पर्य भेलवा वृक्ष से प्राप्त फल के छिलका रहित बीजों से है।
4. बहेड़ा- बहेड़ा का तात्पर्य वृक्ष से प्राप्त होने वाले फलों से है जिसमें फलावरण एवं बीज हो।
5. काजू गुठली - काजू गुठली से तात्पर्य काजू के वृक्ष से प्राप्त फल के गुठली से है।
6. कुटकी - कुटकी से तात्पर्य कुटकी के पौधों से प्राप्त बीज से है।
7. कोदो - कोदो से तात्पर्य कोदो के पौधों से प्राप्त बीज से है।
8. रागी - रागी से तात्पर्य रागी के पौधों से प्राप्त बीज से है।
9. इमली बीज - इमली बीज से तात्पर्य इमली के वृक्ष से प्राप्त फल्लियों को प्रसंस्कृत कर प्राप्त किया जाता है।
10. इमली ब्रिक्स - इमली ब्रिक्स से तात्पर्य इमली के वृक्ष से प्राप्त फल्लियों को प्रसंस्कृत कर प्राप्त किया जाता है।
11. फूल झाड़ू (घांस) - फूल झाड़ू से तात्पर्य घांस प्रजाति के पौधों से प्राप्त फूलों को प्रसंस्कृत कर प्राप्त किया जाता है।
12. काजू - काजू से तात्पर्य काजू के वृक्ष से प्राप्त फलों की गुठली को प्रसंस्कृत कर प्राप्त किया जाता है।

- (xviii) "क्रय क्षमता" से तात्पर्य उस राशि से है जो इन शर्तों एवं निबंधनों की शर्त क्रमांक 5(II) के प्रावधानों के अनुसार मान्य की गई हो।

2. लाटों का विवरण -

लाटों का विवरण (नाम एवं गोदाम) जिसमें से वनोपज संग्रहण कर भंडारित किया गया है का विवरण ई-नीलाम अधिसूचना क्रमांक-एम.एस.पी./ई-नीलाम/2022/1 दिनांक 16.06.2022 की अनुसूची में दिया गया है।

3. अधिनियम के प्रावधान का लागू होना -

भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं उसके अधीन बनाए गये नियमों के समस्त तत्समय प्रवृत्त प्रावधान जहां तक कि वे क्रेताओं के ऊपर लागू होते हैं ई-नीलाम सूचना एवं क्रेता करारनामे के निबंधनों तथा शर्तों के विशेषतः अभिन्न अंग होंगे।

#### 4. बोली प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत व्यक्ति आदि -

(I) पंजीयन फार्म पर हस्ताक्षर करने वाले तथा बोली देने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा यह उल्लेखित किया जायेगा कि वह/वे किस हैसियत से पंजीयन फार्म पर हस्ताक्षर कर रहा है/कर रहे हैं, उदाहरणार्थ, सम्बंधित फर्म के पूर्ण स्वामी अथवा किसी मर्यादित कम्पनी के प्रबंध संचालक, संचालक अथवा सचिव के रूप में। भागीदारी फर्म के मामले में सभी भागीदारों के नाम अभिलिखित होंगे और पंजीयन फार्म पर उनके सम्यक् रूप में नियुक्त अटार्नी द्वारा जिसे मुख्यारनामा द्वारा या भागीदारी विलेख में दिये गये अनुसार संविदा संबंधी सभी विषयों में सभी भागीदारों को आबद्ध करने का अधिकार हो, हस्ताक्षर किये जायेंगे। पंजीकृत भागीदारी विलेख की एक सत्य प्रति पंजीयन फार्म के साथ संलग्न की जायेगी जो न करने पर पंजीयन अमान्य किये जाने योग्य होगी। जिस फर्म ने करार किया है, उस फर्म के प्रत्येक भागीदार के लिए यह बाध्यकर होगा कि वह करार के चालू रहने के दौरान उसके अनुबंधों तथा शर्तों का अनुपालन करें, भले ही अभ्यंतर काल में भागीदारी का विघटन हो गया हो। मर्यादित कम्पनी की स्थिति में पंजीयन फार्म पर तथा बोली देने वाले, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे, जिसे कम्पनी द्वारा वैसा करने हेतु अधिकृत किया हो तथा कम्पनी को सर्टीफिकेट ऑफ इनकापेरेशन (Certificate of Incorporation) की एक प्रति और वह पत्र जिसके द्वारा उस व्यक्ति को पंजीयन फार्म अभिलेखों में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है, पंजीयन फार्म के साथ संलग्न किये जायेंगे जो न करने पर पंजीयन अमान्य किये जाने योग्य होगी। अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब की स्थिति में "कर्ता" जो कुटुम्ब को आबद्ध कर सके, पंजीयन फार्म पर हस्ताक्षर करेगा एवं बोली देने वाले तथा परिवार के समस्त सदस्यों की सूची पंजीयन फार्म के साथ संलग्न की जावेगी।

(II) किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से पंजीयन फार्म पर हस्ताक्षर करने तथा बोली देने वाला व्यक्ति पंजीयन फार्म के साथ मुख्यारनामा या उसके पक्ष में सम्यक् रूप से निष्पादित डीड या भागीदारी विलेख, जिसमें उसे यह शक्ति दी गई हो, जो यह दर्शाये कि यथास्थिति ऐसे अन्य व्यक्तियों को या फर्म को, संविदा संबंधी सभी विषयों में आबद्ध करने का उसे अधिकार है, पंजीयन फार्म के साथ संलग्न करेगा। यदि पंजीयन फार्म पर इस प्रकार हस्ताक्षर करने वाला तथा बोली देने वाला व्यक्ति उक्त मुख्यारनामा या भागीदारी विलेख संलग्न नहीं करता है, तो उसकी पंजीयन संक्षिप्त रूप से अस्वीकृति योग्य होगी। मुख्यारनामे पर, भागीदारी प्रतिष्ठान होने पर सभी भागीदारों द्वारा, प्रोप्राइटर फर्म होने पर प्रोप्राइटर द्वारा तथा मर्यादित कम्पनी होने पर उस व्यक्ति द्वारा जो अपने हस्ताक्षर से कम्पनी को आबद्ध कर सकता है, हस्ताक्षर किये जायेंगे। हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब होने पर मुख्यारनामे पर "कर्ता" जो अपने हस्ताक्षर से कुटुम्ब को आबद्ध कर सकता है, द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(III) अवयस्क, दिवालिया, बकायादार अथवा काली सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा ई-नीलाम में प्रस्तुत बोली अवैध मानी जावेगी। यदि कोई व्यक्ति, प्रोपराइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, अविभाजित हिन्दू परिवार (एच.यू.एफ) अगर काली सूची में दर्ज है तो यह माना जायेगा कि, काली सूची में दर्ज पार्टनरशिप फर्म के समस्त पार्टनर, कम्पनी के समस्त संचालक एवं अविभाजित हिन्दू परिवार का कर्ता एवं समस्त सदस्य, भी काली सूची में है।

उपरोक्त काली सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर अन्य किसी प्रोपराइटी फर्म, पार्टनरशिप फर्म एवं कम्पनी में सम्मिलित होने की स्थिति में वह फर्म भी काली सूची में दर्ज मानी जावेगी।

(IV) ऐसा बोलीदार जो कि बकायादार है, नीलाम पत्र के साथ किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट / डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो संघ के प्रबंध संचालक के पक्ष में रायपुर में देय हो, बकाया का भुगतान संघ कार्यालय या संबंधित प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में ई-नीलाम प्रारम्भ होने के पूर्व कर सकता है।

## 5. सत्यंकार की राशि -

- (I) प्रत्येक बोली, सत्यंकार की राशि जो अधिसूचित वनोपजों की मात्रा के आधार पर बोली से गणना किये गये क्रय मूल्य के 10% के बराबर होगी, के साथ शर्त क्रमांक 16(I) में दशयि विवरण अनुसार प्रस्तुत की जावेगी। अन्य किसी रूप में सत्यंकार की राशि जमा करने पर बोली अंतिम रूप से अमान्य किये जाने योग्य होगी।
- (II) क्रय क्षमता सत्यंकार की राशि की 10 गुना होगी और इस प्रकार मान्य की गई क्रय क्षमता के आधार पर बोली पर विचार किया जावेगा।
- (III) NCDEX e Markets Ltd. के पॉर्टल पर पंजीयन के समय प्रत्येक बोलीदार को ई-नीलामी से पहले एस्क्रो बैंक खाता क्रमांक ऑनवॉलेंट किया जावेगा। ऐसे बोलीदार जिन्होंने बोलीदाता के रूप में पंजीकरण पूरा कर लिया है और जिनके पास वैध यूजर आईडी, पासवर्ड और सक्रिय एस्क्रो खाता है, उन्हें नीलामी के लिए उपयुक्त माना जाएगा। अंतिम समय की परेशानी और यूजर आईडी और एस्क्रो खाता सक्रियण (Activation) के अनुमोदन में देरी से बचने के लिए, इसलिए सभी बोलीदारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी पंजीकरण प्रक्रिया नीलाम तिथि से दो दिवस पूर्व शाम 6.00 बजे तक पूरी हो जावेगी। यदि कोई आवेदक नीलाम तिथि से एक दिवस पूर्व पंजीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ करता है तो यह आवेदक के जोखिम में होगा, यदि बैंक से सक्रिय एस्क्रो खाता प्राप्त नहीं होता है तो अवसर के नुकसान के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार है। पंजीयन हेतु आवेदन नीलाम तिथि को प्राप्त होने पर किसी भी प्रकार से संसाधित नहीं किया जाएगा।
- (IV) बोलीदाता को सत्यंकार की राशि के रूप में जमा राशि को पोस्ट ट्रेड सेटलमेंट माड्यूल (Post Trade Settlelement Module) <https://cst.neml.in> के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया से मार्जिन में स्थानांतरित करना चाहिए। (आवश्यकता होने पर +91 22 61201000 पर ग्राहक सेवा समूह से संपर्क करें)
- (V) NCDEX e Markets Ltd. द्वारा बोलीदारों को बोली लगाने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब आवश्यक सत्यंकार की राशि बोलीदार के सक्रिय एस्क्रो बैंक खाते में नीलाम में भाग लेने के लिए उपलब्ध हो। सत्यंकार की राशि के रूप में जमा की गई राशि बोलीदार की बोली लगाने की क्षमता का निर्धारण करेगी।
- (VI) केवल उच्चतम बोली लगाने वाले की सत्यंकार की राशि को NCDEX e Markets Ltd. द्वारा अवरोधित (Blocked) किया जाएगा। असफल बोलीदारों की सत्यंकार की राशि, जिनमें वे भी शामिल हैं जिनकी बोली को पूरा न करने / बोली से जुड़ी शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण स्वीकार नहीं किया गया है। NCDEX e Markets Ltd. द्वारा पोस्ट ट्रेड सेटलमेंट माड्यूल (Post Trade Settlelement Module) के माध्यम से बोलीदाता द्वारा किए गए वापसी के निवेदन पर ई-नीलामी की समाप्ति की तारीख से एक (1) दिन तक वापस कर दिया जाएगा।
- (VII) एक बार संघ कीमत की पुष्टि कर देता है तो NCDEX e Markets Ltd. सफल एच-1 बोलीदारों की अवरोधित (Blocked) सत्यंकार की राशि संघ को हस्तांतरित कर देगा और असफल एच-1 बोलीदारों की सत्यंकार की राशि को अनवरोधित (Unblocked) कर देगा। NCDEX e Markets Ltd. द्वारा पोस्ट ट्रेड सेटलमेंट माड्यूल (Post Trade Settlelement Module) के माध्यम से बोलीदाता द्वारा किए गए वापसी के निवेदन पर ई-नीलामी की समाप्ति की तारीख से एक (1) दिन तक वापस कर दिया जाएगा।
- (VIII) सफल बोलीदारों की सूची एवं असफल बोलीदारों की सूची संघ की वेबसाइट [www.cgmfpfed.org](http://www.cgmfpfed.org) पर क्रमशः परिशिष्ट-VI एवं परिशिष्ट-VII में उपलब्ध रहेगी। सफल बोलीदार के द्वारा जमा की गई सत्यंकार की राशि प्रथमतः उसके द्वारा देय प्रतिभूति राशि के रूप में शर्त क्रमांक 10(I) के अनुसार समायोजित की जावेगी।
- (IX) ई-नीलाम के समापन के उपरांत, उच्चतम बोलीदारों की सत्यंकार की राशि शासन / संघ द्वारा ई-नीलाम पर निर्णय लिये जाने तक अवरोधित रहेगी। शासन / संघ द्वारा उच्चतम बोली को अस्वीकार करने की स्थिति में अवरोधित सत्यंकार की राशि मुक्त कर दी जावेगी तथा बोलीदार



ई-नीलाम प्रणाली के माध्यम से वापसी हेतु अनुरोध कर सकते हैं और सत्यंकार की राशि एक कार्य दिवस के भीतर बोलीदार के पंजीकृत खाते में हस्तांतरित कर दी जावेगी। ई-नीलाम के समापन के उपरांत, उच्चतम बोली के अलावा अन्य बोली भरने वाले बोलीदारों की सत्यंकार की राशि स्वतः मुक्त कर दी जावेगी जिसे कि बोलीदार स्वयं ई-नीलाम प्रणाली के माध्यम से वापस ले सकते हैं। अगले चक्र की ई-नीलाम हेतु बोलीदार को सत्यंकार की राशि पुनः जमा करना होगी।

(X) सत्यंकार की राशि पर किसी भी दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा।

## 6. शर्तों के साथ बोली भरने की प्रक्रिया -

- (I) ई-नीलामी की तिथि, समय और नीलामी कार्यक्रम का विवरण लघु वनोपज संघ द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और वेबसाइट [www.cgmpfed.org](http://www.cgmpfed.org) तथा [www.neml.in](http://www.neml.in) पर अपलोड किया जाएगा। बोलीदारों से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट पर संशोधन एवं अनुसूची की जांच करें। बोलीदारों को किसी भी मामले में NCDEX e Markets Ltd. या संघ द्वारा व्यक्तिगत रूप से संशोधन एवं अनुसूची के बारे में सूचित नहीं किया जाएगा।
- (II) नीलामी प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 16.00 बजे तक खुली रहेगी। बोलीदारों को दिए गए समय के भीतर बोलियां प्रस्तुत करनी होंगी। वनोपज के ई-नीलाम में किसी लाट / लाटों के अंतिम समय के 5 मिनट के पूर्व यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो उस लाट / लाटों की अवधि 15 मिनट के लिए बढ़ जायेगी, तथा पुनः अंतिम समय के 5 मिनट के पूर्व यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो उस लाट / लाटों की अवधि 15 मिनट के लिए और बढ़ जायेगी और यह व्यवस्था तीन Extention के लिए रहेगी। तीन Extentions के बाद उस लाट / लाटों हेतु और Extention नहीं होगी।
- (III) बोलीदार अपनी बोली NCDEX e Markets Ltd. द्वारा प्रदायित ऑनलाईन पोर्टल <https://cgmpfed.neml.in> पर ई-नीलामी के नियमों और शर्तों के अनुसार प्रस्तुत कर सकता है।
- (IV) बोलीदारों को प्रस्ताव पर प्रत्येक लॉट के लिए भारतीय रुपये प्रति क्विंटल / नग में बोली प्रस्तुत कर सकता है।
- (V) संघ प्रत्येक लॉट हेतु अवरोध दर / आधार दर निर्दिष्ट करेगा जिसके नीचे NCDEX e Markets Ltd. प्लेटफार्म द्वारा कोई बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।
- (VI) बोलीदार ई-नीलाम के समापन तक एक या एक से अधिक लाटों के लिये एक या एक से अधिक बार बोली प्रस्तुत कर सकेगा।
- (VII) किसी भी लाट हेतु ई-नीलाम प्रणाली में प्राप्त उच्चतम बोली से कम दर की बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।
- (VIII) बोलीदार द्वारा Quote (Rs /UOM) कॉलम में भरी गई बोली के समान बोली प्रस्तावित करने पर ई-नीलाम प्रणाली द्वारा बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।
- (IX) बोलीदार जिन लाटों हेतु बोली प्रस्तुत करना चाहता है उसी लाट के समक्ष Quote (Rs /UOM) कॉलम में पृथक-पृथक बोली प्रस्तुत कर सकेगा।
- (X) बोलीदार जिन लाटों हेतु बोली प्रस्तुत करना चाहता है उन लाटों के लिये प्रस्तुत बोली को सुरक्षित कर रखने का प्रावधान है। बोलीदार ऐसे लाटों के समक्ष Quote (Rs /UOM) कॉलम में प्रस्तावित बोली को भरकर "Save Quotes" को Click करके सुरक्षित रख सकता है तथा ई-नीलाम समापन के पूर्व कभी भी इस बोली को प्रस्तुत कर सकता है।

- (XI) बोलीदार द्वारा उपरोक्तानुसार सुरक्षित की गई बोली को शासन / संघ द्वारा तब तक स्वीकृति के लिये विचार नहीं करेगा जब तक कि बोलीदार ई-नीलाम समापन के पूर्व ऐसी बोली को प्रस्तुत नहीं कर देता।
- (XII) बोलीदार को बोली भरने के लिये दो स्क्रीन उपलब्ध होंगी, जो कि पूर्णतः बोलीदार पर निर्भर करेगा कि वह बोली प्रस्तुत करते समय किस स्क्रीन का उपयोग करेगा। **"Normal Screen"** जिस पर पूरे लाट प्रदर्शित होंगे तथा **"Manual Screen"** जिस पर वे लाट प्रदर्शित होंगे जिनमें बोलीदार द्वारा बोली प्रस्तुत की गई है अथवा प्रस्तुत करना चाहता है।
- (XIII) **"Manual Screen"** पर बोलीदार जिन लाटों पर बोली प्रस्तुत करना चाहता है उसका Lot No. or Lot Id भरने के पश्चात **"Enter"** को **Click** करने पर लाट की जानकारी प्रदर्शित हो जावेगी जिसे हेतु बोलीदार बोली प्रस्तुत कर सकेगा।
- (XIV) न्यूनतम वृद्धिशील बोली (Minimum Incremental Tick) का आकार रु. 5/- होगी एवं अधिकतम वृद्धिशील बोली (Maximum Incremental Tick) का आकार रु. 500/- होगी।
- (XV) ई-नीलामी भारतीय मानक समय (आईएसटी) के अनुसार चलेगी।
- (XVI) NCDEX e Markets Ltd. (NeML) के द्वारा ई-नीलाम में प्राप्त उच्चतम बोली को H-1 घोषित की जावेगी। बोलीदारों के किसी भी लाट या समस्त लाटों के उच्चतम बोली / बोलियों को स्वीकार / अस्वीकार करने का विवेकाधिकार शासन / संघ रखता है।
- (XVII) ई-नीलामी सत्र के दौरान, एक बोलीदार अपनी बोली को मौजूदा उच्चतम बोली से अधिक वृद्धिशील मूल्य तक संशोधित कर सकता है।
- (XVIII) ई-नीलामी सत्र के दौरान बोलियों को रद्द करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (XIX) ई-नीलामी के अंतिम परिणाम सभी बोलीदारों के लिए बाध्यकारी हैं और नीलामी सत्र के समापन के बाद प्राप्त रद्दीकरण के किसी भी अनुरोध के परिणामस्वरूप संघ द्वारा सत्यंकार की राशि को राजसात कर लिया जाएगा एवं नियमानुसार कार्यवाही किया जावेगा।
- (XX) बोलीदारों को ई-नीलामी स्क्रीन पर उल्लेखित लॉट की संपूर्ण मात्रा के लिए बोली लगानी होगी, लॉट की आंशिक मात्रा के लिए बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी।
- (XXI) NCDEX e Markets Ltd. (NeML) के द्वारा बोलीदार को ई-नीलाम में बोली प्रस्तुत करने के लिये Bidder's username And the password आवंटित किया जाता है, उक्त Bidder's username and the password का उपयोग कर यदि बोलीदार बोली प्रस्तुत करता है जो वह बिना शर्त बंधनकारी होगा। बोलीदार बोली प्रस्तुत करने तथा Bidder's username and the password के तहत होने वाली सभी अन्य गतिविधियों के लिये पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। बोलीदार को ई-नीलाम से पहले अपने username and the password की जाँच करने एवं किसी अन्य को नहीं बतलाने की सलाह दी जाती है, ताकि दुरुपयोग को रोका जा सके।
- (XXII) ई-नीलामी के बाद, संघ सभी एच-1 बोलीदारों के पंजीकरण दस्तावेजों की जांच करेगा, केवल वैध दस्तावेज रखने वाले बोलीदारों को ही अनुमोदन के लिए विचार किया जाएगा।

## 7. इंटरनेट कनेक्टिविटी -

किसी भी प्रकार की बिजली, नेटवर्क, होस्टिंग सर्वर, सर्वर बैंडविथ समस्याओं, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ISP एवं NCDEX e Markets Ltd. के द्वारा ई-नीलाम हेतु तैयार लिंक <https://cgmpfed.neml.in> के उपयोग तथा अन्य समस्याओं के विफलता के लिये संघ और NCDEX e Markets Ltd. जिम्मेदार नहीं होगा।

## 8. NCDEX e Markets Ltd. की भूमिका -

- (I) वर्तमान नियमों और शर्तों के संबंध में, NCDEX e Markets Ltd. की भूमिका केवल इन नियमों और शर्तों में परिभाषित सीमा तक सीमित है और NCDEX e Markets Ltd. इस ई-नीलामी के बाद विक्रेता और क्रेता के बीच अनुबंध का पक्ष नहीं होगा। इस ई-नीलामी में बोली लगाकर, बोलीदाता स्वीकार करते हैं कि NCDEX e Markets Ltd. को इस ई-नीलामी या इन नियमों और शर्तों का पालन न करने के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी हानि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
- (II) NCDEX e Markets Ltd. ऊपर उल्लेखित नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी चीज से उत्पन्न होने वाले विक्रेता और क्रेता के बीच किसी भी विवाद के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। NCDEX e Markets Ltd. को घोर लापरवाही और जानबूझकर चूक के मामले को छोड़कर विक्रेता और क्रेता के बीच विवाद से उत्पन्न किसी भी मुकदमे, याचिका, आवेदन, मध्यस्थता या अपील का पक्षकार नहीं बनाया जाएगा।
- (III) क्रेता इस बात से सहमत हैं कि NCDEX e Markets Ltd. केवल एक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य कर रहा है और केवल व्यापार की सुविधा के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म प्रदान कर रहा है और क्रेता और विक्रेता के बीच किसी भी विवाद के परिणाम स्वरूप NCDEX e Markets Ltd. को उन सभी दावों, हानियों या खर्चों से क्षतिपूरित करता है।

## 9. बोली को वापिस लिया जाना आदि -

बोली के Final Submission उपरांत कोई भी बोलीदार किसी लाट / लाटों के लिये अपनी बोली वापस नहीं ले सकेगा और वह अपने बोली तथा ई-नीलाम सूचना के निबंधनों तथा शर्तों से तथा इन निबंधनों तथा शर्तों से तब तक बाध्य रहेगा जब तक संघ के द्वारा उसके बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी पत्र जारी नहीं कर दिया जाता। इस शर्त का उल्लंघन करने पर संबंधित लाट / लाटों के क्रय मूल्य, जो कि उसके द्वारा प्रस्तावित दर को लाट की अधिसूचित मात्रा से गुणा करने पर परिगणित किया जावेगा, की 10% राशि का उसके द्वारा प्रस्तुत की गई सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर लिया जावेगा और उसे 3 वर्ष तक की कालावधि के लिये काली-सूची में दर्ज किया जा सकेगा।

## 10. बोलियों को स्वीकार किया जाना -

- (I) शासन / संघ बोली पत्रक में अंकित किसी भी लाट या समस्त लाटों के बोली / बोलियों को बिना कारण दशयि स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- (II) विभिन्न बोलीदारों को लाटों का आवंटन करने के लिए शासन / संघ विभिन्न लाटों या लाटों के वर्ग या विभिन्न क्षेत्रों के लाटों के लिए भिन्न-भिन्न कट आफ स्तर / अवरोध मूल्य निर्धारित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
- (III) बोलीदार ऐसे लाट / लाटों जिनके प्रस्ताव संघ द्वारा स्वीकार किये जाते हैं, स्वीकार करने को बाध्य होगा।

## 11. प्रतिभूति निक्षेप -

- (I) क्रेता करारनामा निष्पादित करने के पूर्व निष्पादित किये जाने वाले क्रेता करारनामा के निबंधनों तथा शर्तों के यथोचित अनुपालन के लिए सफल बोलीदार को उसके पक्ष में संघ के द्वारा स्वीकृत किये गये लाटों के कुल क्रय मूल्य की 20% की राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करना होगी और इस प्रयोजन हेतु उसके द्वारा शर्त क्रमांक 5 के अनुसार जमा की गई क्रय मूल्य के 10% की सत्यंकार की राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में संघ के द्वारा समायोजित कर ली जावेगी और अवशेष राशि निर्धारित समय के अंदर उसे जमा करना होगा। अवशेष प्रतिभूति की राशि प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के

पास, किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट जो कि प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के नाम होगा तथा संबंधित प्रबंध संचालक जिला यूनियन के मुख्यालय के किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर देय होगा, के रूप में अदा की जाएगी।

- (II) यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधों के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जा सकता है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी।
- (III) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू-राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी।
- (IV) यथा स्थिति प्रतिभूति निक्षेप या अवशेष राशि, जैसी भी स्थिति हो, वन मण्डलाधिकारी एवं प्रबंध संचालक, जिला यूनियन की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामों के समस्त निबंधनों एवं शर्तों तथा ई-नीलाम सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरुद्ध शेष नहीं निकलती है, अंतिम भुगतान में समायोजित की जा सकेगी।

## 12. वनोपजों का परिवहन / निकासी -

- (I) गोदाम से वनोपजों का परिवहन / निकासी स्वीकृत बोली के अनुसार शेष राशि तथा पूर्ण करों की राशि के भुगतान होने पर ही क्रेता के द्वारा की जा सकेगी।
- (II) देय राशि के पूर्ण भुगतान होने के पश्चात् परिवहन अनुज्ञापत्र से लाट की संग्रहित मात्रा की परिवहन / निकासी की अनुमति दी जावेगी।
- (III) क्रेता बिना मूल्य वृद्धि (वैल्यू एडिशन) किये वनोपजों को छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर वन विभाग द्वारा जारी परिवहन अनुज्ञापत्र से परिवहन कर सकेगा।

## 13. अधिनियम आदि का उल्लंघन -

ऐसा क्रेता जो क्रेता करारनामों की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करता है, जिसके परिणामस्वरूप वह दंडित किया जाता है या उसके करारनामों को समाप्त किया जाता है, को पांच वर्ष की कालावधि तक के लिए काली सूची में मुख्य वन संरक्षक द्वारा दर्ज किया जा सकेगा।

## 14. करारनामों का हस्तांतरण -

क्रेता प्रबंध संचालक, संघ की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना उसके द्वारा निष्पादित अनुबंध को किसी अन्य व्यक्ति / पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। ऐसे अनुबंध का हस्तांतरण प्रबंध संचालक, संघ द्वारा इस शर्त पर किया जा सकेगा कि जिस व्यक्ति / पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान के पक्ष में अनुबंध हस्तांतरित किया जाना है वह रु. 5000/- की राशि हस्तांतरण शुल्क के रूप में तथा इकाई के क्रय मूल्य की 20% राशि किसी अनुसूचित बैंक के डिमांड / बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के पक्ष में रायपुर में देय होगा प्रतिभूति निक्षेप के रूप में, हस्तांतरणकर्ता का आवेदन, हस्तांतरण ग्रहिता की सहमति प्रबंध संचालक, संघ के कार्यालय में मूल क्रेता हेतु करारनामा निष्पादन करने की निर्धारित अवधि में प्राप्त हो जाना चाहिए। हस्तान्तरण ग्रहिता को हस्तांतरण आदेश की तिथि से 15 दिवस के भीतर क्रेता करारनामा प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में निष्पादित करना होगा। ऐसे प्रकरणों में हस्तांतरणकर्ता क्रेता इकाई के संबंध में अपने दायित्वों से तब तक मुक्त नहीं होगा, जब तक हस्तांतरण ग्रहिता क्रेता संबंधित प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के कार्यालय में संबंधित इकाई का करारनामा निष्पादित नहीं कर देता है।

15. यदि कोई क्रेता शासन / संघ के विरुद्ध अदालत में जाता है तथा निर्णय शासन / संघ के पक्ष में होता है तो क्रेता अदालती कार्यवाही के कारण वनोपज के मूल्य में हुई कमी के लिये जिम्मेदार होगा, इसकी वसूली क्रेता से ब्याज सहित की जावेगी।

16. देय राशि की भुगतान की प्रक्रिया -

(I) बोलीदार द्वारा

बोलीदार को सत्यंकार (E.M.D.) की राशि का भुगतान आनलाइन RTGS / NEFT के माध्यम से ही करना होगा। बोलीदार द्वारा आनलाइन भुगतान निम्न में से किसी प्रकार से किया जा सकता है।

1. आर.टी.जी.एस. / एन.इ.एफ.टी (RTGS / NEFT)

बोलीदार अपने किसी भी बैंक के खाते से NCDEX e Markets Ltd. (NeML) के द्वारा आवंटित एस्करो खाता में सत्यंकार की राशि RTGS / NEFT द्वारा पोस्ट ट्रेड सेटलमेंट माड्यूल (Post Trade Settlement Module) <https://cst.neml.in> के माध्यम से हस्तांतरण कर सकता है। बोलीदार सत्यंकार की राशि हस्तांतरण करने के उपरांत बैंक द्वारा दी गई आवश्यक जानकारी जैसे लेनदेन संदर्भ संख्या (Transaction Reference Number) आदि को संभाल कर रखें। ई-नीलाम पोर्टल में लॉगिन करने के उपरांत Fund Deposit request page पर लेनदेन संदर्भ संख्या (Transaction Reference Number) तथा जमा की गई राशि की सही-सही जानकारी भरनी होगी। भरी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर NCDEX e Markets Ltd. बोलीदार द्वारा जमा की गई राशि के अनुरोध को अमान्य कर सकेगा इस स्थिति में बोलीदार को पुनः लेनदेन संदर्भ संख्या (Transaction Reference Number) तथा जमा की गई राशि की सही-सही जानकारी भरनी होगी।

(II) बोलीदार द्वारा क्रेता नियुक्त होने पर

क्रेता द्वारा राशि का भुगतान अपने किसी बैंक खाते से संघ के आई.सी.आई.सी. आई. बैंक खाता क्रमांक 016101018105 (ICIC0000161) पर निम्न प्रक्रिया अनुसार चालान प्राप्त करने उपरांत ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य है।

चालान प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

इस प्रक्रिया के अनुसार लघु वनोपज संघ के वेबसाइट [www.cgmpfed.org](http://www.cgmpfed.org) के मुख पृष्ठ (Home Page) में एक Link Online Payment Module उपलब्ध होगा। क्रेता द्वारा उक्त Link को Click करने पर एक पेज खुलेगा जिसके क्रमांक 02 के अंतर्गत एक Proceed for Money Receipt Generation through ICICI Bank Ltd. उपलब्ध होगा। उक्त Link को Click करने पर एक इनपुट फॉर्म खुल जावेगा, क्रेता क्रमशः क्रेता का नाम, आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN), ई-मेल, मोबाईल क्रमांक, जिला यूनियन का नाम, वनोपज का नाम, संग्रहण वर्ष, लॉट क्रमांक, विक्रय मूल्य, वस्तु एवं सेवा कर (GST) आय कर, विलंब शुल्क, गोदाम किराया एवं पुर्नजीवन शुल्क की प्रविष्टि करनी होगी। क्रेता द्वारा समस्त प्रविष्टि Caps Lock on करके ही की जानी चाहिये। क्रेता द्वारा प्रत्येक लॉट हेतु पृथक से प्रविष्टि करनी चाहिये अर्थात् एक या एक से अधिक लॉटों की प्रविष्टियों को जोड़कर एक प्रविष्टि नहीं करनी चाहिये। उक्त फॉर्म में पूरी जानकारी भरने के उपरांत को Submit Button क्लिक करना होगा। Submit Button को क्लिक करने के बाद एक चालान प्रदर्शित होगा, क्रेता उक्त चालान का प्रिंट लेकर चालान में अंकित जानकारियों को बैंक द्वारा RTGS हेतु निर्धारित फॉर्म में भरकर चालान में अंकित राशि को RTGS करना होगा।

ऑनलाइन मनी रसीद संबंधित जिला यूनियनों को उनके ई-मेल पर, क्रेता के ई-मेल पर तथा संघ मुख्यालय के ई-मेल पर स्वतः प्राप्त हो जावेगी। जिला यूनियन द्वारा ऑनलाइन मनीरसीद प्राप्त होने उपरांत संघ मुख्यालय से पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं होगी एवं ई-मेल द्वारा प्राप्त मनीरसीद मान्य किया जावेगा।

#### 17. ऑनलाइन क्रेता करारनामा निष्पादन की प्रक्रिया -

क्रेता के पास क्रेता करारनामा को ई-साइन करने के लिये Digital Signature Certificate (DSC) होना आवश्यक है। क्रेता द्वारा उसी DSC का उपयोग करना होगा जिसका उपयोग कर पूर्व के किसी ई-निविदा में भाग लिया गया था अन्य किसी भी DSC का उपयोग करने पर क्रेता करारनामा Digitally Signed नहीं माना जावेगा। क्रेता द्वारा क्रेता करारनामा में आवश्यक रिक्तियों को भरकर PDF File तैयार कर उक्त क्रेता करारनामा को ई-साइन करने के उपरांत संबंधित वन वृत्त कार्यालय / जिला यूनियन को ई-मेल के माध्यम से भेजा जा सकेगा। वन वृत्त कार्यालय / जिला यूनियन को ई-मेल से प्राप्त क्रेता करारनामा को डाउनलोड कर संबंधित मुख्य वन संरक्षक अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति / प्रबंध संचालक, जिला यूनियन अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर कर कार्यालय में उपयोग हेतु रखा जावेगा तथा उसकी स्कैन की हुई कॉपी संबंधित क्रेता को ई-मेल के माध्यम से भेजी जावेगी।

लघु वनोपज संघ द्वारा क्रेता करारनामा ई-साइन करने हेतु संघ के वेबसाइट Website: [www.cgmfpfed.org](http://www.cgmfpfed.org) में एक लिंक Online Signing of Purchaser's Agreement दिया गया है। उक्त लिंक को Click करने पर क्रेता हेतु एक User Manual तथा ई-साइन करने हेतु लिंक प्राप्त होगा, उस Manual में ई-साइन करने की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया है।



## **Annexure – III**

### **BIDDER'S AGREEMENT (condition 4(ii) of e-Auction Notice)**

This Agreement is made between Managing Director, Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-operative Federation Limited (hereinafter called 'Federation', which expression shall, where the context so admits, include its successors / representatives And Assignees in office) of the first part and I/We (hereinafter called the Bidder which expression shall include his heirs, successors, representatives and assignees) of the second part.

Whereas, trading in Imli with Seed, Imli Flower Seed Less, Bhelwa, Baheda and other MFPs is regulated by the provisions of Chhattisgarh Vanopaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 and the rules made thereunder.

And whereas, the Government has Authorized the Federation to sell in the Imli with Seed, Imli Flower Seed Less, Bhelwa, Baheda, Giloy And other MFPs to be collected in different societies (lots) in Chhattisgarh.

And whereas, the Federation desires to dispose of the Imli with Seed, Imli Flower Seed Less, Bhelwa, Baheda and other MFPs collected, bagged and stored in godowns during different collection season and has issued notice inviting offers for the vide e-Auction notice and Also desires that the prospective Bidders should execute an agreement before participating in the e-Auction to abide by the conditions of the e-Auction Notice.

Now the bidder hereby agrees As follows:-

1. I / We hereby declare that I / We have read and understood all the provisions of the Chhattisgarh Vanopaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 And the rules made thereunder, the conditions of the e-Auction notice referred to Above, Terms and conditions of e-Auction etc. contained in **Annexure - I** of the e-Auction notice and conditions of the Purchaser's Agreement appended to the e-Auction notice and agree to abide by the same.
2. I / We hereby declare that I / We shall not withdraw my/our offer after e-Auction. I / We further declare that I / We shall be bound by my / our offer And by the terms and conditions of the e-Auction notice till orders of competent Authority, accepting / rejecting my / our offer, are passed or another person or party is appointed as purchaser of the lot(s) for which I / We have submitted the offer.
3. In the event of my / our failure to abide by the conditions of this agreement. I / We shall be liable to pay such penalty, as may be leviable under the terms and conditions of the offer notice.
4. This agreement shall be deemed and always be deemed to be subject to the provisions of Chhattisgarh Vanopaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 and the rules made thereunder and the orders and notifications issued from time to time under the said Adhiniyam and the rules and of the terms and conditions of e-Auction Notice all of which shall form part of and shall be deemed to have become part of this agreement and shall be construed to have been specially provided for in this agreement.
5. I / We hereby declare that neither Any dues of Forest Department / Federation are outstanding against me / us in Chhattisgarh nor have I / We been blacklisted by the Government / Federation.



In witness whereof the bidder has put his / her signature on above.

**Signed in the presence of following witnesses.**

**WITNESS:**

1.       **Signature** .....

**Name** .....

**Full Postal Address** .....  
.....

2.       **Signature** .....

**Name** .....

**Full Postal Address** .....  
.....

.....

**Signature of the Purchaser**

**Name** .....

**Full Postal Address** .....

## परिशिष्ट- IV

(ई-नीलाम अधिसूचना क्रमांक-एम.एस.पी./ई-नीलाम/2022/I दिनांक 16.06.2022 का परिशिष्ट)

### क्रेता का करारनामा

(ई-नीलाम सूचना की शर्त क्रमांक - 7)

यह करार आज दिनांक .....माह.....सन्.....को प्रथम पक्ष छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो विलेख के प्रयोजन के लिए प्रबंध संचालक, जिला यूनियन, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित..... जिला यूनियन (जो इसके पश्चात् प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के नाम से निर्दिष्ट है) के माध्यम से कार्य कर रहे हैं (जहां संदर्भ में ऐसा ग्राह्य हो, उसके कार्यालयीन उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष के श्री..... आत्मज .....निवासी .....ग्राम.....और जो (1) श्री..... (2) श्री .....(3) श्री ..... के साथ .....स्थित कम्पनी, जिसका नाम ..... है तथा जो इंडियन कंपनी एक्ट, 1913 (7-1913), कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के अधीन पंजीकृत है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय .....में स्थित है, के साथ भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं, जो इसमें इसके पश्चात् क्रेता के नाम से विनिर्दिष्ट है (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ में इस प्रकार ग्राह्य न हो, उसके दायद, उत्तराधिकारी, निष्पादक और उनके उत्तरजीवी, अंतिम उत्तरजीवियों के दायद, निष्पादक तथा प्रशासक उक्त कंपनी का तत्कालीन भागीदार, उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) के बीच किया गया जाता है (उन शब्दों को काट दिया जाए जो लागू न हो)

चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य में वनोपजों भारतीय वन अधिनियम, 1927 और उसके अधीन बनाये गए नियमों तथा उनके कानूनी उपान्तरणों द्वारा विनियमित होता है, और चूंकि राज्य शासन ने राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में भारत शासन की 'Marketing & Development of MFP through MSP' योजनान्तर्गत वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वनोपजों के संग्रहण व निर्वर्तन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित को अधिकृत किया है और संघ ने 2020, 2020-21, 2021, 2021-22 एवं 2022 में प्रदेश में एकत्रित एवं भंडारित वनोपजों के विक्रय के लिए अपनी ई-नीलाम अधिसूचना क्रमांक-एम.एस.पी./ई-नीलाम/2022/I दिनांक 16.06.2022 के द्वारा ई-नीलाम आयोजित की थी, और क्रेता लाट क्रमांक ..... (अंकों में) ..... (शब्दों में) लाट का नाम ..... एवं अधिसूचित मात्रा .....(अंकों में)..... (शब्दों में) और जिसको कथित ई-नीलाम अधिसूचना क्रमांक-एम.एस.पी./ई-नीलाम/2022/I दिनांक 16.06.2022 की अनुसूची में और पूर्णतया वर्णित किया गया है, के वनोपजों के क्रय के लिए की गई प्रस्तावित बोली इसमें इसके पश्चात् दर्शाये गये निबंधनों एवं शर्तों पर स्वीकार की गई हैं और उसे इस कथित वनोपजों का दिनांक 31.10.2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए क्रेता नियुक्त करने के लिए वह सहमत हो गया है,

अब यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और संबंधित पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैं :-

#### 1. क्रेता करारनामा की अवधि -

यह करार दिनांक..... से प्रारम्भ होगा और दिनांक ..... तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार पूर्व में ही इसे समाप्त न कर दिया जाए।

## 2. करारनामे के भाग -

इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जावेगा कि वह अधिसूचना के साथ ही इस ई-नीलाम सूचना के निबंधनों तथा शर्तों के तथा इस ई-नीलाम सूचना के **परिशिष्ट - I** में उल्लेखित सामान्य/अन्य निबंधनों एवं शर्तों तथा बोलीदारों के लिए निर्देशों के जो सब इस करार के भाग होंगे, और इसके भाग बन गये समझे जावेंगे, और जिनका अर्थ लगाया जायेगा कि इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित है, उपबंधों के अध्यक्षीन है।

## 3. क्रय दर आदि -

क्रेता इस लाट में गोदामीकृत मात्रा को जो कि अधिसूचित मात्रा से अधिक हो सकती है को रु.....  
..... (अंकों में)..... (शब्दों में) प्रति क्विंटल की दर पर क्रय करेगा। लाट के क्रय मूल्य के अतिरिक्त क्रेता समय-समय पर प्रवृत्त वस्तु एवं सेवाकर एवं सरचार्ज तथा अन्य कर भी अदा करेगा।

## 4. क्रय मूल्य के भुगतान एवं परिदान की प्रक्रिया -

(I)(अ) जिला यूनियन ..... की वनोपज लाट क्रमांक ..... जिसे अनुसूची में अधिक पूर्णता से वर्णित किया गया है, के लगभग 50 किलो के बोरो में भरे वनोपज का क्रेता निर्धारित गोदामों से बोरे सहित परिदान प्राप्त करेगा।

(ब) क्रेता को पूर्ण क्रय मूल्य की समस्त करों सहित देय राशि का भुगतान दो बराबर किस्तों में निम्नानुसार दर्शाई तिथियों को या उसके पूर्व करना होगा।

| किस्त   | देय तिथि   |
|---------|------------|
| प्रथम   | 01.08.2022 |
| द्वितीय | 01.09.2022 |

जैसे ही क्रेता एक किस्त का भुगतान कर देता है वह इस शर्तों के उपबंधों के अन्तर्गत गोदाम में रखे वनोपजों की मात्रा का आधा (50 प्रतिशत) भाग एक तरफ से पाने का हकदार होगा। परिदान छल्ली (स्टेक) के उस एक ओर से ही दिया जावेगा जिस ओर से परिदान प्रारंभ किया गया है। छल्ली में से बोरो की छंटाई की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(स) क्रेता को वनोपजों का परिदान किस्त की देय तिथि के 20 दिवस के भीतर किस्त का भुगतान कर प्राप्त करना होगा। इस अवधि में परिदान प्राप्त न करने पर अधिसूचित मात्रा की परिदान की गई मात्रा मानी जावेगी। प्रत्येक अवसर पर प्राप्त माल के बोरो की संख्या तथा मात्रा की पावती गोदाम के परिदानकर्ता अधिकारी को देना होगी।

(द) परिदान प्राप्त करते समय तौल कराने की जिम्मेदारी एवं तौलने का खर्च तथा वनोपजों के बोरो को गोदाम से निकालने का खर्च सफल बोलीदार को वहन करना होगा।

(II) क्रेता इस करारनामे के तहत समस्त भुगतान **परिशिष्ट-I** की शर्त क्रमांक 15 के अनुसार करेगा।

(III) देय तिथियों पर किसी देय राशि का भुगतान न करने पर 0.035 प्रतिशत प्रति दिन की दर से विलंबित भुगतान पर ब्याज वसूल किया जावेगा। यदि किसी देय तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो ब्याज की गणना के लिये देय तिथि आगामी कार्य दिवस मानी जावेगी।

(IV) क्रेता गोदाम में भण्डारित किसी भी वनोपजों को इस आधार पर परिदान प्राप्त करने से अस्वीकार नहीं करेगा कि वनोपजों की गुणवत्ता क्रय करने योग्य नहीं है। भण्डारण अवधि में वनोपजों की गुणवत्ता के ह्रास का जोखिम क्रेता का होगा।

(V) क्रेता अधिसूचित मात्रा से अधिक उत्पादित मात्रा का परिदान क्रय मूल्य की पूर्ण राशि का भुगतान कर परिदान प्राप्त करने के लिये बाध्य होगा।

## 5. वनोपजों की निकासी -

- (क) क्रेता, क्रेता करारनामा की कंडिका 4 के अनुसार देय राशि का भुगतान कर संग्रहण केन्द्र से वनोपजों जहां ले जाना चाहे, उसके लिए छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 प्रावधानों के अनुरूप परिवहन अनुज्ञापत्र प्राप्त कर ले जा सकता है। देय राशि में संघ को इस करारनामे के अंतर्गत शेष क्रय मूल्य एवं देय समस्त कर सम्मिलित होंगे।
- (ख) क्रेता बिना मूल्य वृद्धि (वैल्यू एडिशन) किये वनोपजों को छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर वन विभाग द्वारा जारी परिवहन अनुज्ञापत्र से परिवहन कर सकेगा।

## 6. करों का भुगतान -

- (I) इस करार के अधीन संघ को देय कोई भी राशि तब तक दी गई नहीं मानी जायेगी, जब तक उस पर देय समस्त कर का भी भुगतान न कर दिया जाए।
- (II) क्रेता छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर एवं अन्य करों का भुगतान **परिशिष्ट - I** की शर्त क्रमांक 15 में दशयि विवरण के अनुसार करेगा।
- (III) क्रेता, जब तक उसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में छूट नहीं दे दी गई हो, आयकर अधिनियम 1961 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार आयकर का भुगतान प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पक्ष में, उनके मुख्यालय पर देय, किसी भी अनुसूचित बैंक के पृथक बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में करेगा। यथा स्थिति संघ को देय वनोपजों के क्रय मूल्य या उसके भाग का तब तक भुगतान नहीं माना जाएगा, जब तक कि उस पर देय आयकर का भी पूर्णतः भुगतान नहीं कर दिया गया हो।
- (IV) क्रेता पश्चातवर्ती दायित्वों के लिये भी यदि कोई हो तो जिसमें कि इस करार के अधीन उसको बेचे गये वनोपजों के संबंध में राज्य शासन के वाणिज्यिक कर विभाग या केन्द्रीय सरकार या वन विभाग द्वारा वाणिज्यिक कर एवं अन्य टेक्स के मद्दे अधिरोपित की गई अतिरिक्त नाराशियों की देनगी है उत्तरदायी होगा।

## 7. विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना -

संघ या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या वन मंडलाधिकारी क्रेता को वनोपजों के परिदान के पश्चात् उसका विक्रय प्रमाण- पत्र प्रदान करेगा।

## 8. करारनामे का अनुपालन -

यदि पूर्वोक्त एवं ई-नीलाम सूचना में विनिर्दिष्ट परिवहन/निकासी तथा क्रय की शर्तों का पूर्णतः पालन/परिपालन नहीं किया जाता है, तो वनोपजों को क्रय किया गया नहीं समझा जावेगा।

## 9. प्रतिभूति निक्षेप -

- (I) क्रेता भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के द्वारा या अधीन जहां तक कि वे इस करार के संदर्भ में लागू होते हों, उसके द्वारा किये जाने के लिए अपेक्षित समस्त कार्य तथा कर्तव्यों को करने तथा निषिद्ध किये गये किसी कार्य के स्वयं द्वारा उसके सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा किये जाने से विरक्त रहने के लिए स्वयं को आबद्ध करता है और अपने द्वारा तथा अपने सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के सम्यक् पालन तथा अनुपालन किए जाने के लिए प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पक्ष में उसके द्वारा ई-नीलाम सूचना के प्रावधानों के अनुसार रूपये..... की राशि प्रतिभूति के रूप में नियमानुसार निक्षेपित की गई है।
- (II) यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधों के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई

हो, के प्रति समायोजित किया जा सकता है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी।

- (III) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू-राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी।
- (IV) यथा स्थिति प्रतिभूति निक्षेप या अवशेष राशि, जैसी भी स्थिति हो, वन मण्डलाधिकारी एवं प्रबंध संचालक जिला यूनियन की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामे के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, तथा ई-नीलाम सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरुद्ध शेष नहीं निकलती है, अंतिम भुगतान में समायोजित की जा सकेगी।

#### 10. प्रावधानों का उल्लंघन आदि -

क्रेता यह करार करता है कि वह उसके अथवा उसके द्वारा नियोजित किए गए व्यक्तियों के द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 और उसके अधीन बनाये गए नियमों एवं इस करारनामे के प्रावधानों के लिए गए प्रत्येक उल्लंघन के लिए संघ/शासन को रूपया 500/- (पाँच सौ) तक की राशि की देनगी करेगा।

#### 11. शास्तियां -

यदि क्रेता करार की किसी भी शर्त को भंग करें और यदि ऐसे भंग के कारण करार को समाप्त करना प्रस्तावित न हो तो जिला यूनियन के प्रबंध संचालक प्रत्येक भंग के लिए ऐसी शास्ति जो रूपये 500/- (पाँच सौ) से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकेगा।

#### 12. क्रेता के करारनामे की समाप्ति -

(I) यदि क्रेता विक्रय मूल्य की देय राशि (करो सहित) देय तिथि के 15 दिन के अन्दर या अन्य कोई देय राशि 15 दिन के अन्दर अदा नहीं करता है या इस प्रलेख के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का अनुवर्तन करने में चूक करता है, तो ऐसे किन्हीं भी अधिकार तथा उपचारों पर जो प्रबंध संचालक, जिला यूनियन को प्राप्त हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रबंध संचालक, जिला यूनियन अपने विवेक पर इस करार को क्रेता को 15 दिन का नोटिस देकर एवं उसे सुनवाई का अवसर देकर समाप्त कर सकेगा और क्रेता का नाम पाँच वर्ष तक की कालावधि के लिये काली सूची में मुख्य वन संरक्षक दर्ज कर सकेगा।

(II) करार की समाप्ति का आदेश क्रेता को व्यक्तिशः परिदत्त किया जावेगा या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जावेगा। करार की समाप्ति करार के समाप्त करने के आदेश के दिनांक से प्रभावी होगी।

(III) करार की समाप्ति पर संघ, निम्नलिखित के लिए हकदार होगा :-

(अ) संपूर्ण प्रतिभूति निक्षेप की राशि को अधिहरित करने।

(ब) इकाई के संग्रहण केन्द्रों/गोदामों में रखे वनोपजों के स्कंध, जिसकी समस्त देय राशि का भुगतान कर दिया गया है परन्तु संग्रहण केन्द्र से परिदान प्राप्त नहीं किया गया है या संग्रहण केन्द्र से परिदान प्राप्त करने के उपरान्त संग्रहण केन्द्रों/गोदामों से निकासी नहीं की हो, को संघ के पक्ष में अधिहरित करने।

(स) (एक) इकाई के संग्रहण केन्द्रों/गोदामों में रखे वनोपजों के उस स्कंध का जिसके लिये देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा वह स्कंध जो संघ के पक्ष में शर्त क्रमांक (III)(ब) के अधीन अधिहरित किया गया है का विक्रय करने और हानि की वसूली करने। करारनामा समाप्त होने की दशा में क्रेता से हानि की वसूली हेतु गणना निम्नानुसार की जावेगी :-

क्रेता से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक परिवहन, गोदामीकरण व पर्यवेक्षण इत्यादि के समस्त व्यय (-) पश्चातवर्ती ई-निविदा / ई-नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियां।

- (दो) यदि वनोपजों का पुनः विक्रय करारनामा समाप्ति के आदेश के उपरांत प्रथम ई-निविदा / ई-नीलाम में नहीं हो पाता है तो वनोपजों का विक्रय मूल्य शून्य मानकर क्रेता से हानि वसूली की कार्यवाही की जावेगी। यदि पश्चातवर्ती ई-निविदा / ई-नीलाम में वनोपजों का पुनर्विक्रय हो जाता है तो प्राप्त क्रय मूल्य का समायोजन हानि की राशि में किया जावेगा। यदि हानि की वसूली हो चुकी हो तो ऐसी दशा में प्राप्त क्रय मूल्य क्रेता को भुगतान कर दिया जावेगा परन्तु ऐसी राशि पर क्रेता को कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि ऐसे पुनः विक्रय पर इकाई के लिये देय राशि से अधिक राशि प्राप्त होती है तो, संघ पूर्ण राशि प्रतिधारित करने का हकदार होगा और क्रेता का उस पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा।
- (तीन) इसके पश्चात् भी कोई हानि की वसूली शेष हो तो, ऐसी शेष हानि की राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने,
- (द) हानि की वसूली के लिये किये गये समस्त खर्चे एवं व्यय वसूल करने,
- (ई) अधिरोपित की गई समस्त शास्तियां तथा निर्धारित क्षतिपूर्ति, जिसका भुगतान नहीं हुआ हो वसूल करने,
- (IV) यदि करारनामा समाप्ति के उपरांत एवं वनोपजों की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व बकायादार क्रेता द्वारा संघ को देय समस्त धनराशि जिसमें देय राशि, ब्याज, समस्त देयकर, निगरानी शुल्क, अधिरोपित शास्तियां, संघ द्वारा निर्धारित दर से गोदाम किराया तथा रुपये 10,000/- पुर्नजीवन शुल्क आदि विशेष रूप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में कर दिया जाता है तो संघ के प्रबंध संचालक अपने स्वविवेक से उक्त करार को पुर्नजीवित कर सकेंगे और करार अवधि को आवश्यक होने पर बढ़ा सकेंगे तथा उपरोक्तानुसार समस्त देय राशि एवं पुर्नजीवन शुल्क के पूर्ण भुगतान के उपरांत ही वनोपजों के स्टॉक को निकासी/परिवहन की अनुमति दी जावेगी।
- (V) जब भी करार को पुनर्जीवित किया जाता है तो समाप्ति के कारण अधिहरित प्रतिभूति निक्षेप स्वतः प्रत्यावर्तित हो जावेगी।
- (VI) तथापि यदि क्रेता का करारनामा समाप्त नहीं किया गया है एवं करार अवधि समाप्त हो चुकी है तो वनोपजों की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व क्रेता द्वारा संघ को देय समस्त धनराशि जिसमें देय राशि, ब्याज, समस्त देयकर, निगरानी शुल्क, अधिरोपित शास्तियां, संघ द्वारा निर्धारित दर से गोदाम किराया तथा रुपये 10,000/- अवधि वृद्धि शुल्क आदि विशेष रूप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान कर दिया जाता है तो संघ के प्रबंध संचालक स्वविवेक से वनोपज हटाने की अनुमति क्रेता द्वारा लिखित में आवेदन पत्र देने पर दे सकेंगे।

### 13. लेखाओं का रख रखाव -

क्रेता ऐसे प्रपत्रों में ऐसे लेखा एवं ऐसे अभिलेख रखेगा, तथा ऐसी पाक्षिक विवरणियां ऐसी तिथियों को या उनके पूर्व प्रस्तुत करेगा जैसा जिला यूनियन के प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाए। संग्रहण केन्द्र पर रखे जाने वाले अभिलेख निरीक्षण हेतु किसी भी वन अधिकारी एवं प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा अधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत किये जावेंगे।

### 14. क्रेता के द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन -

- (अ) क्रेता ऐसे समस्त कार्यों एवं कर्तव्यों, जो उसके द्वारा किये जाने के लिए अपेक्षित है, का निर्वहन करेगा और अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों द्वारा या उनके अधीन निषिद्ध ऐसे कार्य जहां तक ये इस करार के संदर्भ में असंगत न हो, स्वयं के या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा किये जाने से प्रविरत रहेगा।
- (ब) क्रेता जैवविविधता अधिनियम 2002 एवं छत्तीसगढ़ जैवविविधता नियम, 2015 के अधीन किये जाने वाले समस्त कार्यों एवं कर्तव्यों का पालन करेगा।

15. वनोपजों का परिवहन और अनुज्ञापत्र जारी करना -

क्रेता वनोपजों का परिवहन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये परिवहन अनुज्ञापत्र के बिना जैसा कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 और उसके अधीन बनाये गए नियमों में अनुध्यात है, नहीं करेगा।

16. स्टाम्प शुल्क का भुगतान -

छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुये रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम 1870 और उनके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का सभी समयों पर क्रेता पालन करेगा।

17. प्रथम प्रभार -

(एक) यथास्थिति क्रय मूल्य या उनकी अतिशेष ऐसी समस्त रकम, जो ई-नीलाम सूचना के निबंधनों तथा शर्तों तथा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों, अधिनियम और नियमों के अधीन देय है, क्रेता द्वारा परिवहन कर लिए गये वनोपजों पर प्रथम प्रभार होगी।

(दो) क्रेता वनोपजों का निर्यात या किसी अन्य प्रकार से उनका व्ययन तब तक नहीं करेगा, जब तक कि यह प्रभार पूर्णतः उन्मोचित न कर दिया जाये।

18. न्यायालय की अधिकारिता -

(एक) इस करार के अधीन उद्भूत होने वाला कोई विवाद, छत्तीसगढ़ न्यायालयों की अधिकारिता अध्याधीन होगा।

(दो) यदि कोई क्रेता शासन/संघ के विरुद्ध न्यायालय में जाता है तथा निर्णय शासन/संघ के पक्ष में होता है तो क्रेता न्यायालयीन कार्यवाही के कारण वनोपज के मूल्य में हुई कमी के लिये उत्तरदायी होगा, इसकी वसूली क्रेता से ब्याज सहित की जावेगी।

जिसके साक्ष्य में, इसमें उपर लिखित दिनांक तथा सन् को प्रबंध संचालक, जिला यूनियन ने यहां अपने हस्ताक्षर किये हैं तथा अपने कार्यालय की सील लगाई है और उपर नामित क्रेता (क्रेताओं) ने अपने/उनके अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं।

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा हस्ताक्षर किये गये, सील लगाई गई और परिदत्त किया गया।

साक्षीगण:-

1. ....

(हस्ताक्षर)  
नाम एवं डाक का पूरा पता

संघ की ओर से प्रबंध संचालक, जिला यूनियन  
..... जिला यूनियन

2. ....

(हस्ताक्षर)  
नाम एवं डाक का पूरा पता

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में उपर नामित क्रेता द्वारा हस्ताक्षर किये गये:-

साक्षीगण:-

1. ....

(हस्ताक्षर)  
नाम एवं डाक का पूरा पता

क्रेता / क्रेताओं के हस्ताक्षर

नाम-.....

2. ....

डाक का पता-.....

(हस्ताक्षर)  
नाम एवं डाक का पूरा पता

## Annexure – V

(Annexure to e-Auction Notification No.-MSP/ E-Auction/2022/I Dated 16.06.2022)

**Imli with Seed, Imli Flower Seed Less, Bhelwa, Baheda and other MFPs  
e-Auction 2020, 2020-21, 2021, 2021-22 & 2022 SEASON**

**(C.G.LAGHU VAUPAJ SANGH)**

**BIDDER WISE ALLOTMENT LIST**

(Condition 7 of e-Auction Notice)

**e-Auction Closing Date : 07.07.2022**

| Bidder's Name | Bidder's<br>E.M.D. (In<br>Rs.) | Lot No. | Unit No. and<br>Name | Quantity<br>(In<br>Quintals) | Sanctioned<br>Rate per<br>Quintal<br>(In Rs.) | Total Value<br>of Lot<br>(In Rs.) |
|---------------|--------------------------------|---------|----------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|
|               |                                |         |                      |                              |   |                                   |



## Annexure – VI

(Annexure to e-Auction Notification No.-MSP/ E-Auction/2022/I Dated 16.06.2022)

**Imli with Seed, Imli Flower Seed Less, Bhelwa, Baheda and other MFPs  
e-Auction 2020, 2020-21, 2021, 2021-22 & 2022 SEASON**

**(C.G.LAGHU VAUPAJ SANGH)**

### LIST OF SUCCESSFUL BIDDERS

(Condition 7 of e-Auction Notice)

**e-Auction Closing Date : 07.07.2022**

| S.No. | Bidder's Name | Deposited<br>E.M.D.<br>(In Rs.) | Adjusted E.M.D.<br>in Sanctioned Lots<br>(In Rs.) | Unadjusted E.M.D. to<br>be Refunded<br>(In Rs.) |
|-------|---------------|---------------------------------|---|---|
|       |               |                                 |   |   |

**Annexure – VII**

(Annexure to e-Auction Notification No.-MSP/ E-Auction/2022/I Dated 16.06.2022)

**Imli with Seed, Imli Flower Seed Less, Bhelwa, Baheda and other MFPs  
e-Auction 2020, 2020-21, 2021, 2021-22 & 2022 SEASON**

**(C.G.LAGHU VAUPAJ SANGH)**

**LIST OF UNSUCCESSFUL BIDDERS**

(Condition 7 of e-Auction Notice)

**e-Auction Closing Date : 07.07.2022**

| <b>S.No.</b> | <b>Bidder's Name</b> | <b>Deposited E.M.D.<br/>to be Refunded<br/>(In Rs.)</b> |
|--------------|----------------------|---|
|              |                      |   |

## **Annexure – VIII**

### **NeML RISK DISCLOSURE DOCUMENT**

THIS DOCUMENT SHOULD BE READ BY EACH AND EVERY PROSPECTIVE MEMBER AND THEIR CLIENTS BEFORE ENROLLING AS MEMBERS OF NeML AND SHOULD BE READ IN CONJUNCTION WITH THE GENERAL AS WELL AS SPECIAL TERMS AND CONDITIONS OF NCDEX e MARKETS LIMITED (NeML).

NeML has not prescribed the merits of participating on the NeML trading platforms but has prescribed this disclosure document for apprising the members regarding the risks involved with trading on NeML platform. This brief statement does not disclose all of the risks and other significant aspects of trading on NeML trading platforms. In light of the risks, the MEMBER should undertake such transactions only if it understands the nature of the contracts (and contractual relationships) into which the MEMBER is entering and the extent to which MEMBER is exposed to risk. The MEMBER should carefully consider whether trading is appropriate for it in light of his experience, objectives, financial resources and other relevant circumstances. Trading requires not only the necessary financial resources but also adequate knowledge, experience and risk assessment and anticipation awareness. In case of any adverse consequences or loss resulting from execution of contracts, the NeML or any other authority shall not be responsible and it will not be open for any MEMBER to take the plea that no adequate disclosure was made or it was not explained the full risk involved by the NeML to the MEMBER. The MEMBER will be solely responsible for the consequences and no contract can be rescinded on that account. The MEMBER must ask the NeML to provide full details of the contract i.e., the contract specifications and the associated obligations, if not provided by NeML.

#### **DEPOSITED CASH, FEES AND OTHER MONIES –**

The MEMBER should familiarize itself with the methodology, process and provisions with which the deposited money, in form of cash, fees, margins, security deposits, transaction charges or for any other means, is handled by NeML in general and specifically should make itself aware of the events in which the deposited money in any form would be lost, eroded, forfeited or lien marked. The extent to which the MEMBER may recover its money or property may be governed by specific legislation or local rules in absence of any other contract to the contrary. In some instances, monies, which has been specifically identifiable as the MEMBER's own, will be pro-rated in the same manner as cash in the event of a shortfall of MEMBER. In case of any dispute with the MEMBER, the same shall be subject to dispute resolution process as stipulated in the contract or in absence of the same, as stipulated by NeML from time to time.

#### **TRANSACTION AND OTHER CHARGES –**

Before the MEMBER begins to trade, it should obtain a clear explanation of all transaction charges, fees and other charges for which it will be liable. These charges will affect the MEMBER's net profit (if any) or will increase its loss.

#### **TRADING FACILITIES –**

The NeML offers electronic trading facilities, which are computer-based systems for order-routing, execution, matching, registration or clearing of contracts. As with all facilities and systems, they are vulnerable to temporary disruption or failure. The MEMBER's ability to recover certain losses may be subject to limits on liability imposed by the system provider, the

market, and / or the NeML. Such limits may vary; the MEMBER should ask NeML, for details in this respect, if not already clarified. This document does not disclose all of the risks and other significant aspects involved in participation on electronic trading platform of NeML. The MEMBER should, therefore, study all aspects of participation carefully before becoming involved in it. The MEMBER, hereby acknowledges that he has received and understood this risk disclosure statement.

### **SUSPENSIONS AND TERMINATION OF MEMBER –**

Under certain conditions as stipulated in the Membership Undertaking, the General Terms and Conditions of NeML and / or any particular contract, the MEMBER may be barred from participating in any particular trading activity or its Membership may be terminated or suspended, permanently or temporarily, by NeML, on its own or as per instructions received in this regard, with or without assigning any reasons, with or without issuing prior notice, at any point of time. The MEMBER shall make itself aware of all such circumstances under which the MEMBER's participation could get restricted, barred, terminated or suspended.

### **NO GUARANTEES OF PROFIT –**

The NeML provides no guarantee of profit or of avoiding losses when trading. The MEMBER has received no such guarantees from the NeML or from any of its representatives. The MEMBER is aware of the risks inherent in trading and is financially able to bear such risks and withstand any losses incurred.

### **ADVICE AND RECOMMENDATIONS –**

The NeML will not advise the MEMBER about the merits of a particular Transaction or give him any form of investment advice and the MEMBER acknowledges that the Services do not include the provision of investment advice in the underlying commodities. The MEMBER alone will enter into Transactions and take relevant decisions based on his own judgment. By transacting on NeML trading platforms, the MEMBER represents that he has been solely responsible for making his own independent appraisal and investigation into the risks of the transactions. He represents that he has sufficient knowledge, market sophistication, professional advice and experience to make his own evaluation of the merits and risks of any transactions. The NeML gives no warranty as to the suitability of the products traded under the MEMBER agreement and assumes no fiduciary duty in its relations with the MEMBER.

The NeML will not be under any duty to provide the MEMBER with Any legal, tax or other advice relating to any Transaction. The MEMBER should seek independent expert advice if he is in any doubt as to whether he may incur any tax liabilities. The MEMBER is hereby warned that tax laws are subject to change from time to time.

### **CIRCULARS AND NEWSLETTERS –**

The NeML may, from time to time and at its discretion, provide the MEMBER (or in circulars or newsletters which it may post on its Website or provide to subscribers via its Website or the Trading Platform or otherwise) with information, recommendations, news, market commentary or other information but not as a service. Where it does so,

- NeML will not be responsible for such information
- NeML gives no representation, warranty or guarantee as to the accuracy, correctness or completeness of such information or as to the tax or legal consequences of any related Transaction

- The information is provided solely to enable the MEMBER to make his own trading decisions and does not amount to trading advice or unsolicited financial promotions to the MEMBER
- If the document contains a restriction on the person or category of persons for whom that document is intended or to whom it is distributed, the MEMBER agrees that he will not pass it on to any such person or category of persons,
- The MEMBER accepts that prior to dispatch, the NeML may have acted upon it itself to make use of the information on which it is based. The NeML does not make representations as to the time of receipt by the MEMBER and cannot guarantee that he will receive such information at the same time as other MEMBERS.
- It is understood that circulars, guidelines, market commentary, news, or other information provided or made available by the NeML are subject to change and may be withdrawn at any time without notice.

### **FORCE MAJEURE EVENTS –**

In case of a Force Majeure Event the NeML may not be in a position to arrange for the execution of MEMBER's Orders or fulfil its obligations under the contract or agreement with the MEMBER. As a result the Member may suffer financial loss. The NeML will not be liable or have any responsibility for any type of loss or damage arising out of any failure, interruption, or delay in performing its obligations under the contract where such failure, interruption or delay is due to a Force Majeure event.

I / We, the Undersigned, have read and understood the Above mentioned Risk Disclosure Document and agree and accept, unconditionally and unequivocally, to abide by the contents therein.

Dated:

Place:

Seal and Signature

## Annexure – IX

### Instructions for the Submission of the e-Auction (Condition 5(II) of e-Auction Notice)

*Note: The following steps need to be carried out for online submission of the bids. Detailed instructions for each of the steps are given in the Bidder's Manual on the Home Page of <https://cgmfpfed.neml.in>.*

#### 1. Sequence of steps for online e-Auction process:

##### Step 1 – Online registration of intending bidder:

In order to participate in the e-Auctions, the bidder is required to be registered with NCDEX e Markets Ltd. (contact list attached with the news paper advertisement & **Annexure - IX** point no. 2.3). Onl aAfter online registration of the bidder, the bidder shall be allowed to participate in the e-Auctions floated by the C.G.M.F.P. Federation using the e-Auction System.

The following Registration Fee will be charged by the Service Provider (i.e. NCDEX e Markets Ltd.) from the bidder:

| Sl. No. | Description                              | Charges   | Service Tax @ 18% | Total Amount |
|---------|--|-----------|-------------------|--------------|
| 1.      | Online Registration (Valid for One Year) | Rs. 200/- | Rs. 36/-          | Rs. 236/-    |

All applicants shall mandatorily pay non-refundable registration fees in favour of NCDEX e Markets Ltd, payable at Mumbai for participation in e-auction. The registration fees with applicable GST shall be transferred by online means i.e. RTGS / NEFT to any of the below mentioned Bank Accounts of NeML.

#### NCDEX e Markets Ltd Bank Account Details

| Bank Name           | Bank Account Name   | Exchange Dues Account | IFSC Code   | Branch Name |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| HDFC Bank           | NCDEX e Markets Ltd | 00990690013050        | HDFC0000060 | Fort        |
| Axis Bank           | NCDEX e Markets Ltd | 004010202176820       | UTIB0000004 | Fort        |
| State Bank of India | NCDEX e Markets Ltd | 30760958792           | SBIN0011777 | Fort        |

### **Documents required for Registration with the e-Procurement portal**

**(I) In case of New Registration** – The following documents required alongwith online registration form:-

**(a) For Individual –**

1. ID Proof - Copy of Pan Card – of Individual (Self attested)
2. Address Proof – Copy of Aadhaar Card - of Individual (Self attested)
3. GST Certificate – (Self attested)
4. Cancelled Bank Cheque – (Self attested)
5. BIDDER’S AGREEMENT (Annexure – III) signed by authorized Signatory
6. NeML RISK DISCLOSURE DOCUMENT (Annexure – VIII) – signed by authorized signatory (On letter head)

**(b) For Proprietorship Firm –**

1. ID Proof - Copy of Pan Card – of Proprietor (Self attested)
2. Address Proof – Copy of Aadhaar Card - of Proprietor (Self attested)
3. GST Certificate – (Self attested)
4. Cancelled Bank Cheque – (Self attested)
5. BIDDER’S AGREEMENT (**Annexure – III**) signed by authorized Signatory
6. NeML RISK DISCLOSURE DOCUMENT (**Annexure – VIII**) – signed by authorized Signatory (On letter head)

**(c) For Partnership Firm –**

1. Copy of Pan Card – of firm (Attested by any Partner & Seal of the Firm)
2. Copy Aadhaar card – of 2 partners (Attested by any Partner & Seal of the Firm)
3. GST Certificate of Firm – (Attested by any Partner & Seal of the Firm)
4. Partnership Deed of Partnership Firm - (Attested by any Partner & Seal of the Firm)
5. Cancelled Bank Cheque – (Attested by any Partner & Seal of the Firm)
6. BIDDER’S AGREEMENT (**Annexure – III**) signed by any Partner
7. NeML RISK DISCLOSURE DOCUMENT (**Annexure – VIII**) – signed by any Partner (On Firm’s letter head)

**(d) For Pvt. & Ltd. Company –**

1. Copy of Pan Card – of firm (Attested by Any Director & Seal of the Company)
2. Copy Aadhaar Card – of 2 directors (Attested by any Director & Seal of the Company)

3. GST Certificate of Firm – (Attested by any Director & Seal of the Company)
4. Certificate of Incorporation - (Attested by any Director & Seal of the Company)

**or**

Articles of Incorporation - (Attested by any Director & Seal of the Company)

**or**

Memorandum of Association – (Attested by any Director & Seal of Company)

5. List of Directors – (signed by Managing Director)
6. Cancelled Bank Cheque – (Attested by any director & Seal of the Company)
7. BIDDER'S AGREEMENT (**Annexure – III**) signed by any Director
8. NeML RISK DISCLOSURE DOCUMENT (**Annexure – VIII**) signed by any Director (On company letter head)

**(e) Hindu Undivided Family (H.U.F.) –**

1. Copy of Pan Card – of HUF (Attested by Karta & Seal of HUF Firm)
2. Copy of Aadhaar Card – of Karta and one member (Attested by Karta & Seal of HUF Firm)
3. GST Certificate of HUF Firm – of HUF (Attested by Karta & Seal of HUF Firm)
4. List of members – (Attested by Karta & Seal of HUF Firm)
5. Cancelled Bank Cheque – of HUF (Attested by Karta & Seal of HUF)
6. BIDDER'S AGREEMENT (**Annexure – III**) signed by Karta
7. NeML RISK DISCLOSURE DOCUMENT (**Annexure – VIII**) signed by Karta (On HUF Firm's letter head)

The scanned copies of all required documents as above and payment proof of required fees for New registration and only payment proof of required fees for renewal are required to submit by the intending bidder through Customer Service Group, NCDEX e Markets Ltd., Mumbai. NeML will scrutinize the application forms received and relevant documents submitted. The applicants will be informed regarding acceptance / rejection of their application by NeML. The selected applicants will be enrolled as registered members for the purpose of eAuction(s) and inform by the e-mail regarding registration number / User ID, Password and details of Escrow Account accordingly.

Once KYC document completed then Escrow Account will be opened in one working day. Since Escrow Account opening and activation takes 24 hrs from the date and time of KYC completion and verification therefore request all members to complete the KYC and Escrow Account opening process latest by before two days of e-Auction starting Date.

All registered members are eligible to participate in eAuction(s) as and when scheduled conducted by Federation.



**(II) In case of Renewal** – No documents required only payment proof of required fees for renewal of registration.

### **Step 2 – Online payment of E.M.D.**

EMD can be paid online through RTGS / NEFT mode. In case, the detailed procedure is given in condition 15(i) of **Annexure – I**.

It will be solely the bidder's choice to select any of banks options it is understood that the bidder is aware of the payment cycle and other technical requirements/ payment process & It is bidder's responsibility to see that the amount of EMD is credited to NeML account & the same transaction details are entered at fund deposit page & clicked on Submit if any details are found wrong after submission & it will be bidders responsibility to put the same deposit request again with correct credentials & see that it is approved.

It is mostly dependent on the bank procedure to get the amount credited in NeML's account & then only approval will be given for EMD deposit.

### **Step 3 – Online E-Auction System:**

1. Login to the e-Auction system by entering your login details provided by NCDEX e Markets Ltd., Mumbai.
2. Go to the e-Auction bids screen & then select the commodity eg Imli with Seed, Imli Flower Seed Less, Bhelwa, Baheda and other MFPs Season 2020, 2020-21, 2021, 2021-22 & 2022 (GODOWNED) & then fill the prices / bids for whichever lots you are interested in & click on submit & then confirm.
3. Same process can be followed everytime you want to bid for any lot.

## **2. Other Information:**

### **2.1 Set-up of Machine:**

In order to operate on the e-Auction System, following minimum operating system and hardware is required.

- Windows 7 & Above
- Browser Internet Explorer 8 or 9
- Minimum bandwidth 512 kbps
- Minimum RAM 2 GB
- Java version 1.7.0\_75
- Pop up blocker - Disabled

### **2.2 Submission of Online Offers:**

Federation And NCDEX e Markets Ltd. will not be responsible for any failure on part of the bidder in participating in the e-Auction and / or the EMD etc. before scheduled time and date, for any reason whatsoever, including, inter-alia, non-credit of said amounts of EMD and therefore no claims shall be entertained on these grounds.

Under this online payment system for e-Auction, the bids will not be submitted unless the sufficient EMD is received / credited before scheduled time and date. Hence, bidder shall remit the said amount well in advance.

**The bidder is advised to submit his / her bids well before the cut-off time and date to avoid any inconvenience on account of any problem e.g. system slow down or network problem.**

### **2.3 Helpline:**

For any assistance regarding Registration for e-Auction and other points of e-Auction process, fund management, please contact our service provider :-

**NCDEX e Markets Ltd., Mumbai *on following contact details***

Phone No. : 022-61201000

Email ID –Askus@nempl.in

Mr. Ashwani Singh (Mb - 08123560664), Mr. Y.Praveen (Mb – 06304467770)

**MANAGING DIRECTOR  
Chhattisgarh State Minor Forest Produce  
(Trading & Development) Co-op.  
Federation Limited**

## Time Schedule

### Annexure – X

(Annexure to e-Auction Notification No.-MSP/ E-Auction/2022/I Dated 16.06.2022)

#### **Imli with Seed, Imli Flower Seed Less, Bhelwa, Baheda and other MFPs e-Auction 2020, 2020-21, 2021, 2021-22 & 2022 SEASON (GODOWNED)**

(Condition 5(II) of e-Auction Notice)

| e-Auction Detail                      |  |
|---------------------------------------|--|
| General Detail                        |  |
| e-Auction No / Commodity :            | Notification No.-MSP/ E-Auction/2022/I Dated 16.06.2022  |
| Department Name :                     | Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-operative Federation Limited  |
| Scope of work :                       | Sale of Collected and Godowned Imli with Seed, Imli Flower Seed Less, Bhelwa, Baheda and other MFPs e-Auction 2020, 2020-21, 2021, 2021-22 & 2022 Season   |
| e-Auction Details :                   | Sale of Collected and Godowned Imli with Seed, Imli Flower Seed Less, Bhelwa, Baheda and other MFPs e-Auction 2020, 2020-21, 2021, 2021-22 & 2022 Season   |
| Mode of Bids Submission :             | Online e-Auction   |
| e-Auction Type :                      | English Forward e-Auction  |
| Type of Contract :                    | Sale of Collected and Godowned Imli with Seed, Imli Flower Seed Less, Bhelwa, Baheda and other MFPs under Govt. of India Minimum Support Price Scheme and Minimum Support Price declared by the State Govt. for other MFPs |
| Bidding Type :                        | National   |
| Consortium :                          | Not allowed  |
| Download e-Auction Documents :        | Before Login / After Login   |
| Purchaser Location :                  | Any where in India   |
| Key Dates                             |  |
| Starting Date and Time of e-Auction : | 07/07/2022 from 11:00:00   |
| Ending Date and Time of e-Auction :   | 07/07/2022 upto 16:00:00 with maximum 3 extenstions  |

|   |  |
|---|--|
| Bid Validity Period (Days)              | Till the decision of e-Auction   |
| Project Duration :                      | As per e-Auction document  |
| Document to be submitted Physically :   | NIL  |
| <b>e-Auction Activity configuration</b> |  |
| Mode of EMD payment :                   | <b>Online</b>  |
| <b>Payment Details</b>                  |  |
| EMD Amount :                            | As per e-Auction document  |
| <b>Details</b>                          |  |
| Eligibility Criteria :                  | As per e-Auction document  |
| General Terms and condition :           | As per e-Auction document  |
| Other Details :                         | As per e-Auction document  |
| Product/Service/Works Keywords :        | Sale of Collected and Godowned Imli with Seed, Imli Flower Seed Less, Bhelwa, Baheda and other MFPs e-Auction 2020, 2020-21, 2021, 2021-22 & 2022 Season |